तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थनापत्र/टीए/4858/2022/झुंझुनूं गुरूदयाल बनाम उपखण्ड अधिकारी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित

श्री सुनिल कड़वासरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री सुनिल पारीक एवं श्री धानेश्वर शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः–27–12–2022

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 233 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़वा को जिले से बाहर अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसे जिला कलक्टर झुंझुंनू के आदेश दिनांक 25–08–2022 को खारिज किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हमने आलोच्य प्रार्थना पत्र के संबंध उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी से उचित न्याय नहीं मिलने की आंशका व्यक्त करते हुए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है वरन् यह भी आवश्यक है कि पक्षकारान को महसूस हो कि उनके साथ न्याय किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी के प्रति अविश्वास पैदा हो गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थनापत्र/टीए/4858/2022/झुंझुनूं गुरूदयाल बनाम उपखण्ड अधिकारी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भविष्य में आहूत की जाने वाली कार्यवाही उसके विरूद्ध निर्णित होने की आशंका व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस के मद्देनजर एवं व्यापक न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में अन्तरण किया उचित समझते है। जिससे पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न नहीं हो तथा पक्षकारान भविष्य में की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही से सतुंष्ट हो सके। तदनुसार प्रार्थी का आलोच्य प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/2015 को उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनू के न्यायालय में अन्तरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। संबंधित पीठासीन उपखण्ड अधिकारी आलोच्य प्रकरण का समस्त अभिलेख नवीन उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनू के समक्ष भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरण के अन्तरित होने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी झुंझुंनू विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आलोच्य अपील में उभयपक्ष को सुनकर आवश्यक रूप से निस्तारण करें।

निर्णय प्रति संबंधित पीठासीन अधिकारियों को नियमानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थनापत्र/टीए/4858/2022/झुंझुनूं गुरूदयाल बनाम उपखण्ड अधिकारी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए